

## जयपुर रियासत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन (1600 ई.—1900 ई.) (अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर)

मुकेश कुमार शर्मा  
शोधार्थी  
ज.ना.व्यास विवि. जोधपुर

**सारांश—** राजस्थान के पूर्वोत्तर में अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित प्राचीन जयपुर रियासत अपने गौरवशाली इतिहास और समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत के लिये प्रसिद्ध रहा है। इस प्राचीन भू-भाग ने अनेक संस्कृतियों के उत्थान से साक्षात्कार किया है। यहाँ का इतिहास, कला वैभव, साहित्य, दर्शन दीर्घकालीन सामाजिक व सांस्कृतिक जनजीवन की वे धरोहर है, जो तत्कालीन मानवीय जीवन के सभी रंग रूपों से वर्तमान का परिचय कराती है।

जयपुर रियासत में 16 वी से 19 वी शताब्दी तक अभिलेखीय निर्माण की एक दीर्घकालीन सुव्यवस्थित परम्परा रही है। यहाँ के शासकों, सामंतों एवं समृद्ध व्यक्तियों के द्वारा अपनी रुचि एवं उपलब्ध साधनों के आधार पर ये अभिलेख शिलालेखों, स्मारकों और ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करवाये गये। जिससे हमें तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों के रूप में उत्कीर्ण अतीत की यह समृद्ध विरासत न केवल रियासतकालीन जयपुर के सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का ही ज्ञान कराते है, बल्कि जयपुर के इतिहास निर्माण पर भी एक महत्वपूर्ण प्रकाश डालते है।

**मुख्य शब्द** — शिलालेख, अभिलेख, स्मारक, बावड़ी, सामाजिक, सती प्रथा, सांस्कृतिक, जयपुर रियासत।

**प्रस्तावना—** जयपुर रियासत के कछवाहा वंशी शासकों ने प्राचीन भारतीय शासकों की भाँति शिलालेख एवं स्मारक निर्माण परम्परा में अपनी महत्ती रुची दिखाई है। यहाँ के शासकों ने अपने समय की विशिष्ट उपलब्धियों जैसे युद्ध में विजयी होने, यशोगाथाओं, वंशक्रम, तिथिक्रम और तत्कालीन सामाजिक व धार्मिक स्थिति की जानकारी को चिरस्थायी बनाये रखने हेतु अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया। ये अभिलेख हमें गढ़, महल, हवेली, मंदिर, स्मारक, धर्मशाला, बावड़ी, कुँए, तालाब आदि स्थानों से प्राप्त हुये है जो तत्कालीन इतिहास को जानने के सबसे प्रमाणिक एवं विश्वसनीय स्रोत माने जाते है। वर्तमान में कुछ शिलालेख प्रशासनिक संरक्षण के अभाव में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जबकि कुछ शिलालेख अपनी यथास्थिति में उपलब्ध होते है। शोध से प्राप्त अनछुये अभिलेखीय साक्ष्य जयपुर रियासत के इतिहास निर्माण पर एक नवीन अन्तर्दृष्टि प्रदान करते है।

### अध्ययन का उद्देश्य

1. मौलिक तथ्यों और शोध सामग्री के आधार पर रियासतकालीन जयपुर के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जन-जीवन का अध्ययन करना।
2. अभिलेखों में उल्लेखित राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन कर उसके सुव्यवस्थाओं का पता लगाकर वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करना।
3. रियासतकालीन शिलालेखों में वर्णित धार्मिक मान्यताओं, परम्पराओं और विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का तत्कालीन सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
4. नवीन अन्वेषण पर आधारित ऐतिहासिक एवं पुरा महत्व के शिलालेखों से प्राप्त ऐतिहासिक जानकारी का अन्वेषण कर जयपुर के इतिहास निर्माण पर नवीन अन्तर्दृष्टि प्रदान करना।

साहित्यालोकन

जयपुर रियासत के इतिहास से संबंधित प्रमाणिक ग्रंथों व लेख प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर एवं शाखा जयपुर में उपलब्ध मूल स्रोतों, प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध सामग्री तथा शोध यात्रा के दौरान स्वयं के द्वारा अवलोकन कर संकलित किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों का तथ्यपूर्वक अध्ययन कर उपयोग किया गया है। शोध प्रबंध में निम्न उपलब्ध साहित्य का भी अवलोकन एवं विश्लेषण किया गया है। :-

- डॉ. गोपीनाथ शर्मा की कृति '*राजस्थान इतिहास के स्रोत*' जो राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर से 2015 प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत ग्रंथ में राजस्थान के विभिन्न रियासतों से संबंधित प्राचीन काल से लेकर 18 वी शताब्दी तक के अभिलेखों का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है।
- प्रो. रतनलाल मिश्र की पुस्तक '*एपिग्राफिकल स्टडीज ऑफ राजस्थान इन्सक्रिपशन्स*' में आदिकाल से लेकर 19 वी सदी तक के राजस्थान के विभिन्न स्थानों से प्राप्त अभिलेखीय साक्ष्यों का तथ्यपूर्ण वर्णन प्राप्त होता है। जिसमें जयपुर क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न शिलालेखों का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है।
- प्रो. बी.एल. पनगड़िया की कृति '*पोलिटिकल-सोशियल इकोनोमिक एण्ड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान*' में 11 वीं- 20 वीं सदी में राजस्थान में मुगल और ब्रिटिश प्रभावस्वरूप प्रशासनिक आर्थिक, धार्मिक क्षेत्रों के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में हुये परिवर्तनों का तथ्यपूर्ण विवेचना की गई है।
- प्रो.के.सी. जैन की पुस्तक '*एनसियेन्ट सिटीज एण्ड टाउन्स ऑफ राजस्थान*' जो राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर से 2018 में प्रकाशित है। प्रस्तुत ग्रंथ में राजस्थान के प्राचीन नगरों (मुख्यतया प्राचीन आमेर रियासत) और वहां से प्राप्त पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन प्रस्तुत कर तत्कालीन प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक जनजीवन सहित सभी पहलुओं का उल्लेख किया गया है।

राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस के विभिन्न प्रोसेडिंग्स, अभिलेखागारों से प्राप्त पुरालेखीय एवं अपुरालेखीय रिकॉर्ड, द्वितीयक स्रोतों एवं अन्य अध्ययन सामग्री के आधार पर 16 वी से 19 वी शताब्दी तक के रियासतकालीन जयपुर के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जन जीवन का तथ्यपरक अध्ययन किया गया है।

ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उन प्रदेशों में से है, जिसका नाम अपनी प्राचीन गौरवमय परम्परा के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसी राजस्थान की जयपुर रियासत 16 वीं से 19 वीं शताब्दी के दौरान अपने रूप निर्माण, रंग-योजना तथा स्थापत्य आदि के लिए विश्व विख्यात है।<sup>1</sup> जयपुर रियासत में जयपुर, शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, नवलगढ़, खंडेला, खेतड़ी, जोबनेर, बगरू, सामोद, चौमूं, अचरोल, मनोहरपुरा, बरनाला, ईसरदा, खाचरियावास, खाटू, डिग्गी, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, उनियारा, सिवाड़, चैनपुरा, नायला, पाटण, बाँसखो, कानौता, दूदू, झिलाय, गीजगढ़, दूनी, धूला और आदि सीमावर्ती क्षेत्र सम्मिलित थे। इस रियासत के अभिलेखीय साक्ष्यों में तत्कालीन समय की प्रमुख जाति और वंशों, राजनैतिक एवं प्रशासनिक पदों, समाज में स्त्रियों के स्थान सतीप्रथा, बहुपत्नीप्रथा, उत्सव व मेलों, खान-पान, आमोद-प्रमोद और मनोरंजन के साधन, लोक कल्याणकारी कार्य आदि का उल्लेख किया गया है। जिससे हमें सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। इनके अन्तर्गत सर्वप्रथम तत्कालीन समाज में विभिन्न जातियों और वंशों का उल्लेख मिलता है। चौमूं स्थित सीताराम जी के मंदिर के शिलालेख<sup>2</sup> संवत् 1803 (1746ई.) में महाजन जाति का उल्लेख मिलता है। मोरीजा स्थित सीताराम जी के मंदिर के शिलालेख<sup>3</sup> संवत् 1830-35 (1773-1778ई.) से हमें चारण जाति का उल्लेख मिलता है। सांभरिया (कानौता, जयपुर) के सीताराम जी के मंदिर का शिलालेख<sup>4</sup> संवत् 1792, जमुवारामगढ़ (जयपुर) के गणेश जी के मंदिर के शिलालेख संवत् (1819), गीजगढ़ (सिकन्दरा) के छतरी वाले शिव मंदिर के लेख<sup>5</sup> संवत् 1952,

शहर (करौली) के तालाब स्थित शिव मंदिर के शिलालेख से हमें कारीगर जाति की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार बाँसखो (जयपुर) के बिहारी मन्दिर के शिलालेख संवत् 1937 और झिर (बाँसखो) की बावड़ी के प्रवेश द्वार के शिलालेख<sup>6</sup> संवत् 1769 से हमें तत्कालीन समाज में पुजारी (ब्राह्मण) जाति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं साथ ही दौसा शहर के नरसिंह जी के मंदिर की दीवार पर महाराजा सवाई जयसिंह के शिलालेख<sup>7</sup> संवत् 1876 और लवाण (बाँसखो) में तालाब के शिलालेख से हमें तत्कालीन समाज में मुसलमान जाति के प्रमाण मिले हैं। इसी प्रकार नाई, सिलावट और राजपूतों के अनेक वंशों व उनकी शाखाओं की जानकारी प्राप्त होती है।

जयपुर रियासतकालीन इन शिलालेखों में महत्वपूर्ण राजनैतिक एवं प्रशासनिक पदों व उपाधियों का जैसे श्रीमहाराजाधिराज, बादशाह, कामदार, कोतवाल, नायब, दरोगा, कीलादार, पहरेदार, पटेल का भी उल्लेख मिलता है। चौमूं (जयपुर) स्थित सीताराम जी के मंदिर के शिलालेख में जयपुर के राजा सवाई ईश्वरीसिंह के महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने के साक्ष्य मिलते हैं। पुराना घाट (घाट की गुनी) जयपुर स्थित महादेव कुण्ड के शिलालेख<sup>8</sup> से जयपुर दरबार सवाई जगतसिंह के नाम के आगे श्रीमहाराजाधिराज उपाधि का प्रयोग होने की जानकारी प्राप्त होती है। जमुवारामगढ़ (जयपुर) स्थित गणेश मंदिर के शिलालेख से भी तत्कालीन राजा सवाई माधोसिंह के नाम के पूर्व महाराजाधिराज की पदवी अंकित होने की जानकारी मिलती है। इसी गणेश मंदिर के शिलालेख व झर (झिर) स्थित बावड़ी के शिलालेख से तत्कालीन मुगल बादशाहों क्रमशः आलमशाह व फरुखसियर का उल्लेख होता है। चौमूं स्थित सीताराम जी के मंदिर के शिलालेख में हमें साहदतराम, संकरराम और किसनराम जैसे कामदारों का उल्लेख मिलता है। जमुवारामगढ़ स्थित प्राचीन गणेश मंदिर के शिलालेख<sup>9</sup> संवत् 1819 में जयपुर के राजा सवाई माधोसिंह के समय में किसी गुलाबराय सिसोदिया नाम के कोतवाल का उल्लेख मिलता है। उपर्युक्त इसी शिलालेख से ही किसी नायब भय्या के द्वारा दूल्हराय मंदिर बनाने की जानकारी प्राप्त होती है। झर (झिर) स्थित बावड़ी के शिलालेख (संवत् 1769), तूंगा स्थित सूरजमल शेखावत के स्मारक शिलालेख<sup>10</sup> संवत् 1886 और खण्डेला (सीकर) स्थित शिलालेख संवत् 1749 से दरोगा पद की पुष्टि होती है। दौसा स्थित रघुनाथ मंदिर के शिलालेख संवत् 1864 में कीलादार पदाधिकारी की जानकारी प्राप्त होती है। दौसा स्थित उपर्युक्त शिलालेख से ही पहरेदार नामक पदाधिकारी का उल्लेख भी मिलता है। शहर (करौली) के तालाब वाले शिव मंदिर के शिलालेख<sup>11</sup> संवत् 1824 व बोरारज (जयपुर) स्थित जवान सिंह स्मारक—शिलालेख<sup>12</sup> संवत् 1843 से हमें पटेल पदाधिकारी की जानकारी प्राप्त होती है।

16वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान जयपुर रियासत के शिलालेखों से तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति पर आवश्यक रूप से प्रकाश पड़ता है। अचरोल स्थित बावड़ी के शिलालेख में ठाकुर रणजीतसिंह अपनी पुत्री ईद कंवर के विवाह के उपलक्ष्य में बावड़ी का निर्माण करवाया। इस शिलालेख से राज परिवारों में लड़कियों की सम्पन्न व सम्माननीय स्थिति तथा उनकी लोककल्याण की भावना पर भी प्रकाश पड़ता है। पुराना घाट (घाट की गुणी) के शिलालेख, इसके थोड़ी दूर महादेव की बावड़ी स्थित शिलालेख बाँसखों, बिहारी जी के मंदिर के शिलालेख और जोबनेर स्थित रूपकंवर की बावड़ी के शिलालेख<sup>13</sup> से भी हमें तत्कालीन समय में दासियों, राजकुमारीयों, रानियों आदि का समाज में आदरपूर्ण एवं सम्माननीय स्थान था।

इसके अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्यों से जयपुर रियासत में सती प्रथा के साक्ष्य भी मिलते हैं। सतीप्रथा के सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि मध्ययुग में साधारणतः स्त्रियाँ पातिव्रत्य प्रेम के वशीभूत होकर प्रायः स्वेच्छा से सती होती थी। हमारे अध्ययन कालीन शिलालेखों एवं स्मारकों में अचरोल स्थित ठाकुर शिवसिंह की छतरी का शिलालेख<sup>14</sup> संवत् 1819 प्रमुख है जिससे ज्ञात होता है कि ठाकुर शिवसिंह जयपुर महाराजा की ओर से मराठों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होने पर उनकी कूपावत रानी सती हुई थी। नीदड़ (हरमाड़ा) के जुझार सिंह के स्मारक शिलालेख<sup>15</sup> (संवत् 1782) से रावत जुझार सिंह की मृत्युपरान्त उनकी रानी सदाकूँवर के सती होने का उल्लेख मिलता है। साथ ही झुंझुनु स्थित संवत् 1828 के शेखावतों के सती—स्मारक<sup>16</sup> से खेतड़ी के शासक भोपालसिंह के लोहारू युद्ध में मृत्युपरान्त उनकी पत्नी सूरजकंवर चाँपावत के सती होने के प्रमाण मिले हैं।

अध्ययन क्षेत्र के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राजघरानों में बहुपत्नीत्व प्रथा का प्रचलन था। सांगानेर के समीप वाटिका में कुंवर कल्याण सिंह के स्मारक-शिलालेख<sup>17</sup> संवत् 1920 से जानकारी होती है कि 1863 ई. में वहाँ के कुंवर कल्याण सिंह की मृत्युपरान्त उनकी दो पत्नियाँ मेड़तण जी जैतकंवर और राणावत जी विजयकंवर सती हुईं। दूदू (जयपुर) खंगारोत शासकों के सती शिलालेख<sup>18</sup> 1813 ई. से ठाकुर जीवन सिंह के पुत्र कुंवर फतेहसिंह की मृत्युपरान्त उनकी दो कुंवरानियों के सती होने का उल्लेख मिलता है।

अभिलेखीय साक्ष्यों में सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन की श्रृंखला में उत्सवों व मेलों के आयोजन की जानकारी प्राप्त होती है। दौसा स्थित रघुनाथ मंदिर में उत्कीर्ण शिलालेख<sup>19</sup> संवत् 1864 से बसंत पंचमी के मेले की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त बाँसखों में बिहारी जी के मंदिर के शिलालेख संवत् 1937 से अन्नकूट उत्सव का भी उल्लेख मिलता है। रियासतकालीन उत्सवों में अन्नकूट उत्सव का महत्वपूर्ण स्थान था।

16 से 19 वीं शताब्दी कालीन जयपुर रियासत के अभिलेखीय साक्ष्यों में बाँसखों के बिहारी मंदिर का शिलालेख<sup>20</sup> 1937 संवत् प्रमुख हैं जिसके अन्तर्गत बाँसखों की ठकुरानी जगमालोत कुम्भाणी के द्वारा बिहारी जी के मंदिर की प्रतिष्ठा करवाने और बिहारी जी के भोग के लिए राज्य के कोठार (अन्न भण्डार) से घी, बाजरा, चीनी, पतासा, तेल, नमक, गुड, चोंला (मोठ), धनिया, आटा और चावल आदि खाद्य-सामग्री का उल्लेख होता है। लवाण (बाँसखों) में तालाब स्थित शिलालेख<sup>21</sup> से सिंघाड़े की खेती के प्रमाण भी मिले हैं।

अभिलेख में खान-पान के अतिरिक्त आमोद-प्रमोद और मनोरंजन के साधनों का भी उल्लेख किया गया है। मोरीजा स्थित ठाकुर फतेहसिंह के छतरी-स्मारक<sup>22</sup> (संवत् 1885) की भीतरी दीवारों पर हाथियों की लड़ाई मल्लयुद्ध, आखेट(शिकार) आदि उत्कीर्ण चित्र प्राप्त हुये हैं जो कि उस समय के प्रमुख मनोरंजन साधनों में थे। सीकर स्थित (कटराथल) का शिलालेख<sup>23</sup> संवत् 1824 और पाटोदा स्थित जुझार शिलालेख<sup>24</sup> संवत् 1885 से घुड़सवारों की आकृति का उल्लेख होता है। शायद रियासतकाल में घुड़सवारी भी मनोविनोद का साधन रहा हो।

शिलालेखों एवं स्मारकों के हमारे अध्ययनकालीन जयपुर रियासत के शासकों द्वारा लोकोपकारी कार्यों के किये जाने का उल्लेख मिलता है। इन कार्यों में तालाब, कुँए, बावड़ी आदि का निर्माण प्रमुख थे जिनका उद्देश्य सामान्य जनता के लिए पेयजल व कृषि की सिंचाई हेतु पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना था।<sup>25</sup> अचरोल स्थित बावड़ी शिलालेख<sup>26</sup> संवत् 1920 से विदित होता है ठाकुर रणजीतसिंह ने अपनी पुत्री ईद कंवर के विवाह के अवसर पर बावड़ी बनवाकर प्रजा के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने की जानकारी प्राप्त होती है। घाट की गुणी (जयपुर) के बावड़ी शिलालेख संवत् 1886 से ज्ञात होता है कि इस कुण्ड (बावड़ी) को महाराजा सवाई जयसिंह तृतीय की एक धाय रंग बरस ने जन सेवार्थ बनवाया था। जोबनेर स्थित रूपकुंवरि की बावड़ी के शिलालेख से ज्ञात होता है कि यहां के शासक मनोहर दास की पुत्री रूपकुंवरि द्वारा पुण्यार्थ बावड़ी का निर्माण करवाये जाने का उल्लेख मिलता है। इनके अतिरिक्त खण्डेला स्थित माजी की बावड़ी के शिलालेख<sup>27</sup> संवत् 1749 से ज्ञात होता है कि इस बावड़ी का निर्माण खण्डेला के राजा बहादुर सिंह की पत्नी ने जनता की पेयजल सुविधा हेतु करवाया था। इस प्रकार अभिलेखीय साक्ष्यों में जयपुर रियासत का सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन की झांकी विविध रूपों में देखने को मिलती है। ये अभिलेख शासकीय हैं अतः इनका अध्ययन सावधानीपूर्वक किया जा रहा है। इनमें प्रसंगवश तत्कालीन समाज, सामाजिक व्यवस्था और परम्पराओं का जिक्र मिलता है जो तत्कालीन संस्कृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। राजपरिवारों की महिलाओं द्वारा बावड़ियों, मंदिरों का निर्माण करवाना या दान देने से उच्च वर्ग की महिलाओं की स्थिति का द्योतक है तो समाज में सती प्रथा जैसी व्यवस्था भी दिखाई देती है।<sup>28</sup>

जयपुर रियासत कालीन ये अभिलेख हमें तत्कालीन सांस्कृतिक व्यवस्था से अवगत करवाते हैं। तत्कालीन समाज में मेलों, उत्सवों और परम्पराओं की जानकारी मिलती है तथा प्रसंगवश विभिन्न जातियों

की भी जानकारी मिलती हैं । समसामयिक साहित्य का अध्ययन करते हैं तो इसकी पुष्टि स्वतः ही हो जाती है।

### सन्दर्भ

1. पनगड़िया, बी.एल., पोलिटिकल-सोशियल इकोनोमिक एण्ड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, पंचशील प्रकाशन, जयपुर 1993. पृ.25
2. चौमूं (जयपुर) स्थित सीताराम जी के मंदिर का शिलालेख संवत् 1803 (1746ई.) ।
3. मोरीजा स्थित सीताराम जी के मंदिर का शिलालेख संवत् (1830-35)।
4. सांभरिया (काणौता, जयपुर) स्थित सीताराम जी के मंदिर का शिलालेख संवत् 1792 (1735ई.) ।
5. गीजगढ़ (सिकन्दरा) के छतरी वाले शिवमंदिर का शिलालेख संवत् 1952 (1895ई.)।
6. झर (बांसखो) स्थित बावड़ी का शिलालेख संवत् 1769 (1712ई.)
7. दौसा के नरसिंह मंदिर का शिलालेख संवत् 1876 (1819 ई.)।
8. पुराना घाट (घाट की गुणी) जयपुर स्थित महादेव कुण्ड का शिलालेख संवत् 1886 (1829ई.) ।
9. जमुवारामगढ़ स्थित प्राचीन गणेश मंदिर का शिलालेख संवत् 1819 (1762 ई. )।
10. तूंगा स्थित सूरजमल शेखावत का स्मारक शिलालेख संवत् 1886 (1829 ई.)।
11. शहर (करौली) के तालाब स्थित शिव मंदिर का शिलालेख संवत् 1824 (1767ई.) ।
12. बोराज (जयपुर) स्थित जवान सिंह का स्मारक शिलालेख संवत् 1843 (1786 ई.)।
13. जोबनेर स्थित रूपकुंवरि की बावड़ी का शिलालेख संवत् 1704 (1647ई.) ।
14. अचरोल स्थित ठाकुर शिव सिंह की छतरी का शिलालेख संवत् 1819 (1762ई.)।
15. नींदड (हरमाड़ा ) के जुझार सिंह का स्मारक -शिलालेख संवत्1782 (1725ई.) ।
16. झुन्झुनू स्थित शेखावतों के सती-स्मारक संवत् 1828 (1771 ई.) ।
17. वाटिका सांगानेर स्थित कुंवर कल्याण सिंह का स्मारक -शिलालेख संवत्1920 (1863ई.) ।
18. दूदू (जयपुर) स्थित खंगारोत शासकों के सती शिलालेख संवत् 1870 (1813ई.)।
19. दौसा स्थित रघुनाथ मंदिर का शिलालेख संवत् 1864 (1807ई.) ।
20. बांसखो (जयपुर) स्थित बिहारी मंदिर का शिलालेख संवत् 1937 (1880ई.) ।
21. लवाण ( बांसखों) स्थित तालाब का शिलालेख ।
22. मोरीजा स्थित ठाकुर फतेहसिंह का छतरी -स्मारक संवत् 1885 (1828ई.)
23. कटराथल(सीकर) का शिलालेख संवत् 1824 (1767ई.) ।
24. पाटोदा (सीकर) स्थित जुझार शिलालेख संवत् 1885 (1828ई.) ।
25. मनोहर, राघवेन्द्रसिंह, जयपुर क्षेत्र के ऐतिहासिक स्मारक एवं शिलालेख, तारा प्रकाशन, चौड़ा रास्ता जयपुर 1994, पृ. 63 ।
26. अचरोल स्थित बावड़ी का शिलालेख संवत् 1920 (1863ई.) ।
27. खण्डेला स्थित सीकर स्थित माजी की बावड़ी का शिलालेख संवत् 1749 (1692ई.) ।
28. मिश्र, रतन लाल , स्मारकों का इतिहास एवं स्थापत्यकला, ईना श्री पब्लिशर्स जयपुर 1998 पृ. 87 ।